



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224050
CG-DL-E-31122020-224050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4197]
No. 4197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/ पौष 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सं. 116/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4786(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 102/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 जिसे का.आ. 3777 (अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 ड क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, दिनांक 4 जनवरी 2021 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करता है जिस तारीख से उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 102/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 लागू होगी।

[फा. सं. 450/110/2020- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2020

No. 116/2020-Customs

S.O. 4786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28EA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 102/2020-Customs(N.T.), dated the 23rd October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3777(E), dated the 23rd October, 2020, the Central Board of Indirect Tax and Customs hereby notifies the 4th of January 2021, as the date from which the afore-stated notification number 102/2020-Customs (N.T.), dated the 23rd October, 2020, shall come into force.

[F. No. 450/110/2020-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)